

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरु

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2023/2

दायर दिनांक 03.01.2023

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

—सायल—

बनाम

राजू पुत्र आमीन जाति मणियार उम्र 46 साल निवासी वार्ड नं० 09 कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु।

—गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975

उपस्थित :-

1. अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल

निर्णय

दिनांक : 08.02.2023



यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं गैरसायल राजू पुत्र आमीन जाति मणियार उम्र 46 साल निवासी वार्ड नं० 09 कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु अवैध जुआ सट्टा करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :-

क.स.	मुकदमा न० एवं दिनांक	जुर्म धारा	चालान दिनांक	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1.	83/22.05.2018	13 आरपीजीओ	22.06.2017	87/2017	सजा 22.06.2017
2.	64/12.04.2018	13 आरपीजीओ	02.06.2018	59/2018	सजा 02.06.2018
3.	159/25.08.218	13 आरपीजीओ	27.09.2018	130/2018	सजा 27.09.2018
4.	59/11.04.2019	13 आरपीजीओ	07.08.2019	103/2019	सजा 07.08.2019
5.	136/04.10.2022	13 आरपीजीओ	21.11.2022	1584/2022	विचाराधीन न्यायालय

जिला पुलिस अधीक्षक चूरु ने गैरसायल राजू पुत्र आमीन जाति मणियार उम्र 46 साल निवासी वार्ड नं० 09 कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु के विरुद्ध को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वयं हाजीर होकर जुर्म स्वीकार हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.02.2023 प्रस्तुत किया।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 05 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावे ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

2023/2

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु बनाम राजू

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली-भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 05 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. मे दिनांक 22.05.2017, 12.04.2018, 25.08.2018, 11.04.2019 व 04.10.2022 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल राजू पुत्र आमीन जाति मणियार उम्र 46 साल निवासी वार्ड नं0 09 कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल राजू पुत्र आमीन जाति मणियार उम्र 46 साल निवासी वार्ड नं0 09 कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख गैरसायल राजू को थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख व थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक चूरु को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लोकेश कुमार गौतम)  
अति० जिला कलक्टर एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, चूरु  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु